संख्या:-200/2023/आई451941/414आ0-23-5002-002-66-2023
(कम्प्यूटर सं0-1765181)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4216-01-700-05-0538-25(राजभवन लखनऊ के लघु निर्माण कार्य, भारित) के अन्तर्गत राजभवन परिसर में 75 मी0 ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4216-01-700-05-0538-25 (राजभवन लखनऊ के लघु निर्माण कार्य, भारित) के अन्तर्गत राजभवन परिसर में 75 मी0 ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर उक्त लेखाशीर्षक में रखी गयी धनराशि में से कुल आगणन लागत **रू0 110.33 लाख(रू0 एक करोड़ दस लाख तैंतीस हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक**	**जनपद**	**कार्य का नाम**	**आगणन लागत**
1	2	3	4	5
				(धनराशि लाख रू0 में)
1	989बीजीबी/112बीजीबी/27020/राजभवन/अना0/2023-24, दिनांक 11.12.2023	लखनऊ	राजभवन परिसर में 75 मी0 ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना का कार्य।	110.33
	कुल योग :- (रू0 एक करोड़ दस लाख तैंतीस हजार मात्र)			**110.33**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

5- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

9- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग निर्धारित बजटीय सीमा में किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-200/2023/आई451941/414आ0(1)-23-5-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।
4- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
10- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।